डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 13, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001

अनुक्रमणिका

अध्याय-1 प्रारंभिक

खण्ड :

अध्याय-3 कामकाज का संचालन

अध्याय-4 परिषद् की शक्तियां और कृत्य

अध्याय-5 सह-चिकित्सकीय संस्थाएं और मान्यता

अध्याय-6 रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक

अध्याय-7 परिषद् की निधि

38. बजट

अध्याय-8 रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर

39. रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर
40. राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्ट किये जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से किसी व्यक्ति के नाम हटाए जाने का आदेश देने की परिषद् की शक्ति.
41. राज्य रजिस्टर में परिवर्तन
42. जांचों में प्रक्रिया
43. परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील
44. इस अधिनियम में या उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध

अध्याय-9 नियम और विनियम

45. नियम बनाने की शक्ति
46. विनियम बनाने की शक्ति

अध्याय-10 प्रकीर्ण

47. प्रमाण-पत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति
48. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी
49. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति
50. अपराध का संज्ञान
51. राज्य शासन द्वारा नियंत्रण

अनुसूची

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001

राज्य में सह-चिकित्सकीय परिषद् की स्थापना करने और सह-चिकित्सकीय व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय करने तथा सह-चिकित्सकीय शिक्षा को विनियमित करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् अधिनियम, 2001 है,

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ है,

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :—

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद्,
(ख) "सह-चिकित्सकीय" से अभिप्रेत है सह-चिकित्सकीय विषय में अर्हित कोई भी कार्मिक और जो—

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 102) की धारा 2 के खण्ड (एक) के अंतर्गत चिकित्सा, या

(दो) मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ के अंतर्गत होम्योपैथी तथा जीव रसायन में चिकित्सा, या

(तीन) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 2 के खण्ड (ख), (ङ) तथा (ठ) के अर्थ के अंतर्गत क्रमशः आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा, प्राकृतिक-चिकित्सा तथा यूनानी पद्धति की चिकित्सा, या

(चार) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) की धारा 2 की उपधारा (ग) के अर्थ में चिकित्सा, के अध्यापन तथा व्यवसाय में सहायता करते हों,

(ग) "सह-चिकित्सकीय विषय" से अभिप्रेत है अनुसूची में वर्णित विषय,

(घ) "मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हता" से अभिप्रेत है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस निमित्त सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किसी सह-चिकित्सकीय विषय में दी गई कोई उपाधि, पत्रोपाधिक या प्रमाणपत्र,

(ङ) "सह-चिकित्सकीय संस्था" से अभिप्रेत है विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या अन्य कोई संस्था जिसमें सह-चिकित्सकीय विषय चलाया जाता है,

(च) "रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति,

(छ) "राज्य रजिस्टर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर तथा अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकरण" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा.

अध्याय-दो छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् की स्थापना तथा गठन

परिषद् की स्थापना.

3. (1) राज्य सरकार यथाशक्य अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, सह-चिकित्सकीय परिषद् की स्थापना करेगी,

(2) परिषद्, छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित एवं धारण करने की तथा इस अधिनियम के अधीन किये गए उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, अपने द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति को अंतरित करने तथा संविदा करने और उसके गठन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

परिषद् का गठन.

4. (1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात् :—

क-पदेन सदस्य

(एक) मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा,
(दो) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़,
(तीन) संचालक, चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़,
(चार) संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, छत्तीसगढ़.

ख-नाम-निर्दिष्ट सदस्य

(पांच) चिकित्सा महाविद्यालय का एक अधिष्ठाता,
(छ:) आयुर्वेदिक महाविद्यालय का एक प्राचार्य,
(सात) चिकित्सा महाविद्यालय का अस्थिरोग का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष,
(आठ) चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें सह-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है, का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष,
(नौ) आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी महाविद्यालय, जिसमें सह-चिकित्सकीय विषय चलाया जाता है, का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष.

ग-निर्वाचित सदस्य

(दस) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायियों द्वारा ऐसी रीति से, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाय, अपने में से निर्वाचित किये जाने वाले पांच सदस्य :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रथम बार परिषद् का गठन होने की दशा में इस प्रवर्ग के अंतर्गत सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (छ:) से (नौ) के अधीन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किया जायेगा,

(3) कोई भी व्यक्ति एक समय में सदस्य के रूप में एक से अधिक हैसियत से सेवा नहीं करेगा,

(4) उपधारा (1) के अधीन पदेन, नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.

सदस्यता के लिये निरर्हताएं.

5. कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा, यदि—

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है, या
(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या
(ग) वह विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित कर दिया गया है, या
(घ) वह नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया है, या
(ङ) वह परिषद् का कर्मचारी है और उसे वेतन या मानदेय द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, या
(च) उसका नाम तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन राज्य रजिस्टर में से या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या सह-चिकित्सकीय व्यवसायी के रजिस्टर से हटा दिया गया हो.

परिषद् के निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की तथा नाम-निर्देशिती की पदावधि.

6. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निर्वाचित, और नाम-निर्दिष्ट सदस्य परिषद् के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के परंतुक के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के अपने पद ग्रहण करने तक, पद धारण करेंगे, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) से (नौ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की अनवसित अवधि के लिये पद पर बने रहेंगे,

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान होते हुए भी, पद छोड़ने वाला सदस्य, अपने उत्तरवर्ती के यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा.

नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य द्वारा त्यागपत्र.

7. परिषद् का नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य किसी भी समय अपने पद से ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों से विहित की जाय, त्यागपत्र दे सकेगा.

परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.

8. (1) यदि परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपनी पदावधि की कालावधि के दौरान :—

(क) परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों से परिषद् की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, या
(ख) लगातार बारह मास से अधिक की कालावधि के लिये भारत से बाहर होने से अनुपस्थित रहता है, या
(ग) धारा 5 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या
(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकीय व्यवसायी नहीं रहता, तो परिषद् उसका पद रिक्त घोषित करेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो,

(2) परिषद् का कोई नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य ऐसी घोषणा की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

9. यदि परिषद् के किसी नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह पद त्याग दे या वह किसी अन्य कारण से वह चाहे जो हो सदस्य न रहे, तो रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि तक पद धारण करेगा.

परिषद् का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.

10. (1) मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा,

(2) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा,

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन नियमों या विनियमों द्वारा विहित किये जाएं.

अध्याय-तीन कामकाज का संचालन

11. (1) परिषद् का अध्यक्ष सम्मिलन बुलायेगा और प्रत्येक सम्मिलन की तारीख नियत करेगा, — **सम्मिलन का बुलाया जाना.**

(2) परिषद् का सम्मिलन या तो साधारण या विशेष होगा,

(3) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, उसमें उसका समय तथा स्थान और सम्मिलन में किये जाने वाले कामकाज को विनिर्दिष्ट करते हुए, साधारण सम्मिलन के ठीक पन्द्रह दिन पूर्व और किसी विशेष सम्मिलन के ठीक सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की जायेगी, तथा

(4) सम्मिलन में उससे संबंधित सूचना में विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज आसंदी की अनुज्ञा के सिवाय नहीं किया जायेगा.

12. अध्यक्ष जब कभी वह उचित समझे, विशेष सम्मिलन बुला सकेगा और परिषद् के कम के कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर ऐसा करने के लिये बाध्य होगा. — **अध्यक्ष की विशेष सम्मिलन बुलाने की शक्तियां.**

13. (1) परिषद् का कोई सम्मिलन, परिषद् के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से, समय-समय पर, उसी दिन बाद के समय तक या किसी अन्य तारीख तक के लिये स्थगित किया जा सकेगा, किंतु स्थगित सम्मिलन में छोड़े गये कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज ऐसे सम्मिलन में नहीं किया जायेगा, — **सम्मिलन का स्थगन.**

(2) परिषद् के कार्यालय में या उस सम्मिलन स्थान पर जिसमें सम्मिलन को उस दिन के लिये स्थगित किया गया है चिपकाई गई स्थगन सूचना, ठीक आगामी सम्मिलन की पर्याप्त सूचना समझी जायेगी.

14. परिषद् का अध्यक्ष सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा, यदि परिषद् का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी, यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे. — **सम्मिलन की अध्यक्षता.**

15. (1) परिषद् के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी, — **गणपूर्ति.**

(2) यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति नहीं है तो, पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या तारीख तक के लिये जो वह उचित समझे स्थगित करेगा और ऐसी घोषणा तत्काल करेगा और सम्मिलन के लिये रखे गये कामकाज को पश्चात्वर्ती सम्मिलन पर अग्रनीत करेगा चाहे ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति हो या न हो,

(3) सम्मिलन के लिये नियत किये गये कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज पश्चात्वर्ती सम्मिलनों में नहीं किया जायेगा,

(4) परिषद् के कार्यालय में या सम्मिलन के स्थान पर उस दिन जिसको सम्मिलन स्थगित किया जाये, चिपकाई गई स्थगन की ऐसी सूचना पश्चात्वर्ती सम्मिलन की पर्याप्त सूचना समझी जायेगी.

16. इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद् के सम्मिलनों के समक्ष लाये गये सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चत किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता कर रहे पीठासीन प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा. — **बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.**

कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.

17. (1) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किये जायेंगे, उसमें उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किये जायेंगे, और उन पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा, उसी या ठीक आगामी सम्मिलन में पुष्टिकरण के लिये हस्ताक्षर किये जायेंगे, तथा

(2) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति उसकी पुष्टिकरण की तारीख से सात दिन के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी.

रिक्तियां आदि कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनायेगी.

18. परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) परिषद् में कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या
(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि है, या
(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

सम्मिलन की कार्यवाहियों का ठीक और वैध होना.

19. जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाय, जब सम्मिलन के कार्यवृत्तों पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिये गए हों, परिषद् का प्रत्येक सम्मिलन सम्यक् रूप से बुलाया गया समझा जायेगा.

परिषद् के सदस्यों के भत्ते.

20. (1) परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किये जाएं :

परन्तु परिषद् के ऐसे सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी हों ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे,

(2) कोई भी सदस्य उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये संदाय से भिन्न किसी भी संदाय का हकदार नहीं होगा.

सह-चिकित्सकीय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.

21. (1) परिषद् यदि आवश्यक समझे, अपने सम्मिलन में सह-चिकित्सकीय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विषय पर उसके विचारों को सुनने के लिये आमंत्रित कर सकेगी, ऐसे व्यक्ति को विषय पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु परिषद् के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा,

(2) आमंत्रिती ऐसे भत्ते पाने का हकदार होंगे जैसे कि धारा 20 में विनिर्दिष्ट हों.

समितियां.

22. (1) परिषद् समय-समय पर और ऐसी कालावधि के लिये, अपने सदस्यों की संख्या को मिलाकर जैसी की उचित समझें, समिति नियुक्त कर सकेगी, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी विषय को उस पर जांच और रिपोर्ट करने के लिये या राय प्राप्त करने के लिये समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी,

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक समिति अपने प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष चुने जाने हेतु अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चयन करेगी,

(3) ऐसी समिति की नियुक्ति का ढंग (प्रकार), ऐसी समिति के सम्मिलनों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना तथा ऐसी समिति के कामकाज का संचालन ऐसा होगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय.

अध्याय-चार परिषद् की शक्तियां और कृत्य

परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

23. (1) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे,

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) सह-चिकित्सकीय संस्थाओं का राज्य रजिस्टर बनाए रखना,

(ख) रजिस्ट्रार के किसी भी विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की, ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाय सुनवाई करना और उनका विनिश्चय करना,

(ग) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायियों के वृत्तिक आचरणों को विनियमित करने के लिये नैतिक आचरण संहिता विनियमों द्वारा विहित करना,

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायी की भर्त्सना करना, राज्य रजिस्टर में से निलंबित कर देना या हटा देना, या उसके विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करना जैसी की परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो,

(ङ) किसी सदस्य को परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों से उसे अनुपस्थित रहने की अनुमति देना,

(च) नए सह-चिकित्सकीय विषयों की स्थापना में नई पद्धतियां, अनुसंधान और विकास प्रोन्नत करना,

(छ) सह-चिकित्सकीय शिक्षा प्रोन्नत करने के लिये स्कीमें बनाना,

(ज) सह-चिकित्सकीय शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और बायोकेमी पद्धति के बीच प्रभावी संबंध प्रोन्नत करना और इन विषयों में अनुसंधान और विकास प्रोन्नत करना,

(झ) पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, शारीरिक तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं, कर्मचारीवृंद, गुणवत्ता, अनुदेश, निर्धारण तथा परीक्षाओं के लिये मानक और स्तर अधिकथित करना,

(ञ) अध्यापन एवं अन्य फीस को प्रभारित करने के लिये मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करना,

(ट) शिक्षा के क्षेत्र में किसी सह-चिकित्सकीय निकाय या संस्था को चार्टर प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना,

(ठ) सह-चिकित्सकीय संस्थाओं और सह-चिकित्सकीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये मार्गदर्शन करना,

(ड) किसी सह-चिकित्सकीय संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना,

(ढ) परीक्षा संचालन करने हेतु स्तर की एकरूपता बनाए रखने के लिये बोर्ड का गठन करना,

(ण) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो नियमों द्वारा विहित किये जाएं, तथा

(त) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन का संचालन.

अध्याय-पांच सह-चिकित्सकीय संस्थाएं और मान्यता

कतिपय दशाओं में सह-चिकित्सकीय अर्हता की मान्यता.

24. जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय कोई सह-चिकित्सकीय संस्था स्थापित की जाती है या कोई सह-चिकित्सकीय संस्था कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम आरंभ करती है वहां ऐसी सह-चिकित्सकीय संस्था के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी सह-चिकित्सकीय अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हता नहीं होगी.

कतिपय विद्यमान सह-चिकित्सकीय संस्था के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए समय.

25. यदि किसी व्यक्ति ने सह-चिकित्सकीय संस्था स्थापित की है, या किसी सह-चिकित्सकीय संस्था ने नया या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है, तो यथास्थिति ऐसा व्यक्ति या सह-चिकित्सकीय संस्था इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगी.

भारत के विश्वविद्यालयों या सह-चिकित्सकीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सकीय अर्हता को मान्यता.

26. भारतीय चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सकीय अर्हताएं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का सं. 102) की अनुसूची में सम्मिलित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हताएं होंगी.

उन देशों की जिनके साथ व्यतिकारिता की स्कीम है सह-चिकित्सकीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सकीय अर्हता की मान्यता.

27. (1) भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सकीय अर्हताएं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का सं. 102) की अनुसूची में सम्मिलित है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हताएं होंगी,

(2) राज्य सरकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश देते हुए, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी, कि उसमें किसी सह-चिकित्सकीय अर्हता के संबंध में यह घोषित करते हुए यह प्रविष्टि की जायेगी कि वह मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अनुदत्त की जाय,

(3) जहां परिषद् ने ऐसी किसी सह-चिकित्सकीय अर्हता की सिफारिश करने से इंकार कर दिया है जिसकी मान्यता के लिए उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, और वह प्राधिकारी इस निमित्त राज्य सरकार से आवेदन करता है, वहां राज्य सरकार ऐसे आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे किसी इंकार के कारणों के बारे में रिपोर्ट, यदि कोई हो, परिषद् से प्राप्त करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी, कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाय, और ऐसी अधिसूचना को उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे.

कतिपय सह-चिकित्सकीय संस्थाओं द्वारा जिनकी अर्हताएं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं अनुदत्त सह-चिकित्सकीय अर्हता को मान्यता.

28. भारत में की ऐसी कोई सह-चिकित्सकीय संस्था, जो अपने द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सकीय अर्हता को अनुसूची में शामिल कराना चाहती हो, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिये राज्य सरकार को, ऐसे आवेदन फीस के साथ जैसा कि विनियम द्वारा विहित किया जाय, आवेदन कर सकेगी, और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची का इस प्रकार संशोधन कर सकेगी, कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाय, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निदेश दिया जा सकेगा, कि अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी सह-चिकित्सकीय अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जायेगी, कि यह मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हता तभी होगी, जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के बाद अनुदत्त की जाय.

पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संबंध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति.

29. भारत में का प्रत्येक विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सकीय संस्था, जो मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हता देती है, ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिये पूरे किये जाने वाले पाठ्यक्रमों, और दी जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में जिसमें ऐसे पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना है, और ऐसी अर्हता का प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और साधारणतया ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिये, अपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी देगी, जिसकी परिषद् समय-समय पर अपेक्षा करे.

सह-चिकित्सकीय संस्था का निरीक्षण.

30. परिषद् जब भी आवश्यक समझे सभी सह-चिकित्सकीय संस्थाओं का निरीक्षण करवा सकेगी.

मान्यता का वापस लिया जाना.

31. (1) यदि परिषद् को यह प्रतीत होता है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सकीय संस्था में पूरे किये जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा, अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रावीण्यता, या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सकीय संस्था में या उन विश्वविद्यालयों से संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारीवृंद, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षा और प्रशिक्षण की अन्य सुविधा परिषद् द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं हैं तब परिषद् मान्यता की वापसी के लिये कार्यवाही करेगी,

(2) मान्यता वापस लिये जाने से पूर्व परिषद् सह-चिकित्सकीय संस्था या विश्वविद्यालय को वह कालावधि विनिर्दिष्ट करते हुए कारण बताओ सूचना जारी करेगी, जिसके भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाना है,

(3) जवाब की प्राप्ति पर, या जहां कारण बताओ सूचना विनिर्दिष्ट कालावधि में कोई जवाब न किया जाय, वहां उस कालावधि का अवसान होने पर परिषद् मामले में विनिश्चय करेगी.

सह-चिकित्सकीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर.

32. परिषद् भारत के विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सकीय संस्था द्वारा (स्नातकोत्तर सह-चिकित्सकीय अर्हताओं से भिन्न) मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सकीय अर्हता प्रदान किये जाने के लिये अपेक्षित सह-चिकित्सकीय शिक्षा के न्यूनतम स्तर विहित कर सकेगी.

अध्याय-छ: रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक

परिषद् के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक.

33. (1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा,

(2) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे,

(3) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ऐसे होंगे जैसे कि परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों द्वारा अवधारित करे,

(4) परिषद् रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी से अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिये ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकेगी और लेगी जैसी कि परिषद् आवश्यक समझे,

(5) परिषद् द्वारा इस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार, या कोई अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य.

34. (1) रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिषद् द्वारा किये गये गए किसी आदेश के उपबंधों के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे, उसे उसी रीति में, जैसी कि समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाए, पुनरीक्षित करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे, और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जिनका इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किये जाने के लिये उससे अपेक्षा हो या की जाए,

(2) रजिस्ट्रार यह देखेगा कि राज्य रजिस्टर यथासंभव सभी समयों पर सही है और वह समय-समय पर उसे रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायियों के पते या उनकी अर्हताओं में हुए किसी सारवान परिवर्तन को प्रविष्ट कर सकेगा,

(3) रजिस्ट्रार राज्य रजिस्टर में से रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायी का नाम हटा सकेगा जिसकी मृत्यु हो हो गई हो या जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटाए जाने के लिये उसे निदेशित किया गया हो या जो सह-चिकित्सकीय व्यवसायी नहीं रह गया हो,

(4) व्यवसायी से सूचना प्राप्त होने पर यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि व्यवसायी ने व्यवसाय करना बंद नहीं किया है तो परिषद् रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुन: स्थापित करे और रजिस्ट्रार ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा.

अध्याय-सात परिषद् की निधि

परिषद् की निधि.

35. (1) परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद् निधि कहलाएगी,

(2) निम्नलिखित परिषद् की निधि के भाग रूप होंगे या उनका उसमें संदाय किया जायेगा :—

(क) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान,
(ख) फीस और जुर्मानों से हुई आय को सम्मिलित करते हुए, परिषद् की समस्त स्रोतों से आय,
(ग) न्यास, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो, तथा
(घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशियां.

वे उद्देश्य जिनके लिये परिषद् की निधि उपयोजित की जायेगी.

36. परिषद् की निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये उपयोज्य होगी, अर्थात् :—

(क) उन ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये उपगत किए गए हों,
(ख) किसी ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के लिये जिनमें परिषद् एक पक्षकार हो,
(ग) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिये,
(घ) परिषद् के पदाधिकारियों (ऑफिस बेयरर्स) के भत्तों के संदाय के लिये,
(ङ) किन्हीं ऐसे व्ययों के संदाय के लिये जो इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में परिषद् द्वारा उपगत किये गए हों,
(च) सह-चिकित्सकीय वृत्ति के सामान्य हित में परिषद् द्वारा घोषित सह-चिकित्सकीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के उन्नयन और विकास के लिये उपगत अन्य व्यय.

लेखे तथा संपरीक्षा.

37. (1) परिषद् के लेखाओं को ऐसी तारीख के पूर्व तथा ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, तैयार किया जायेगा,

(2) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा की जायेगी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट की संपरीक्षा फीस परिषद् द्वारा समय-समय पर उनके विनियमों के अनुसार नियत की जायेगी,

(3) जैसे ही परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाए, परिषद् उनकी प्रतिलिपि उस पर संचालक चिकित्सा शिक्षा की रिपोर्ट कर प्रतिलिपि के साथ, राज्य सरकार को उसी रीति में भेजेगी जो कि विहित की जाए.

बजट.

38. (1) रजिस्ट्रार ऐसे प्रारूप में, जो कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करवाएगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाए जाएंगे, और उसे परिषद् के समक्ष समय-समय पर , तथा उस रीति में रखवायेगा जैसी कि विहित की जाए,

(2) उस सम्मिलन की, जिसमें बजट पारित किया गया हो, तारीख से पंद्रह दिन के भीतर बजट राज्य सरकार को अग्रेषित किया जायेगा,

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित बजट के प्रावधान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त नहीं है, तो वह बजट को, उसमें ऐसे उपांतरण करने के लिये, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाएं, परिषद् को वापस कर देगी,

(4) परिषद् इस बात के लिये सक्षम होगी, कि वह उसी रकमों का, जो कि आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्षों या गौण शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोग करे,

(5) परिषद् जैसा और जब अपेक्षित हो अनुपूरक बजट, ऐसे प्रारूप में और उसी तारीख तक, जो कि विहित की जाए, पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबंध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे.

अध्याय-आठ रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर

रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर.

39. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त अर्हता रखता है रजिस्ट्रार को ऐसी अर्हता के सबूत प्रस्तुत करने और पांच सौ रुपये के अनधिक ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विहित की जाए, राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिये पात्र होगा और भिन्न-भिन्न अर्हताओं के लिये भिन्न-भिन्न फीस विहित की जा सकेगी,

(2) परिषद् सह-चिकित्सकीय व्यवसायियों का एक राज्य रजिस्टर ऐसे प्रारूप में रखवाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए,

(3) रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिषद् द्वारा किये गए किसी आदेश के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे और उसे बनाये रखे, और समय-समय पर रजिस्टर को ऐसी अन्य रीति से पुनरीक्षित करे और राजपत्र में प्रकाशित कराए जैसी कि विहित की जाए,

(4) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) के अर्थ के अंतर्गत लोक दस्तावेज समझा जायेगा.

राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से हटाए जाने का आदेश देने की परिषद् की शक्ति.

40. परिषद् रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा आदेश द्वारा रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी—

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया है जो परिषद् की राय में उसके चरित्र में कोई ऐसा दोष उपदर्शित करता हो कि जिससे राज्य रजिस्टर में उसका नामांकन किया जाना या राज्य रजिस्टर में उसके नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाए, या

(ख) जिसे परिषद् ने, जांच के पश्चात् परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, किसी वृत्तिक प्रसंग में गर्हित आचरण का दोषी पाया हो,

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा.

राज्य रजिस्टर में परिवर्तन.

41. (1) परिषद् संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने और उसके आक्षेपों की, यदि कोई हों, जांच करने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगी कि राज्य रजिस्टर में की कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में कपट-पूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रद्द कर दी जाय, या संशोधित की जाए,

(2) परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सकीय व्यवसायी का नाम रजिस्टर में से सदैव के लिये या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये हटाए जाने का निर्देश उन्हीं कारणों से दे सकेगी जिनके आधार पर परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण की धारा 40 के अंतर्गत प्रतिषेध किया जा सकता है,

(3) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए, पुन: स्थापित किया जाए.

जांचों में प्रक्रिया.

42. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, परिषद् या धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का सं. 1) और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5) के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं. 37) के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांचे यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं. 37) की धारा 5 तथा धारा 8 से 20 तक के उपबंधों के अनुसार संचालित की जाएगी.

परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील.

43. ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(1) जिसका नाम राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिये आवेदन धारा 39 या 41 के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, या

(2) जिसके नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में धारा 40 के अधीन प्रतिषिद्ध कर दी गई हो, या

(3) जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो, यथास्थिति, इस प्रकार नामंजूर किये जाने, या हटाए जाने के आदेश के नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने पर प्रतिबंध.

44. (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर सह-चिकित्सकीय व्यवसायी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा अथवा स्वयं को, व्यक्तिगत लाभ के लिये, चाहे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह अभ्यासत: सह-चिकित्सकीय व्यवसाय करता है,

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास से जो छ: मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.

अध्याय-नौ नियम और विनियम

नियम बनाने की शक्ति.

45. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यांवित करने के लिये नियम बना सकेगी,

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

46. (1) परिषद् साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यांवित करने के लिये, विनियम, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से धारा 45 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए बना सकेगी, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध हो सकेंगे :—

(क) परिषद् की संपत्ति का प्रबंध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा,

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (दस) के अधीन सह-चिकित्सकीय व्यवसायियों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन की रीति,

(ग) परिषद् के नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र,

(घ) सभापति और उप-सभापति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य,

(ङ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों के सम्मिलनों का बुलाया जाना और उनका आयोजित किया जाना तथा ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन,

(च) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के सदस्यों को देय यात्रा तथा अन्य भत्ते,

(छ) (एक) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के कारण हुई अपीलों को सुनने और उन्हें विनिश्चित करने की रीति,

(दो) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिये नीति विषयक संहिता,

(ज) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा शर्तें और वेतनमान,

(झ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की रीति,

(ञ) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर का प्ररूप,

(ट) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सकता हो,

(2) राज्य सरकार मंजूरी के लिये विनियम प्राप्त होने पर उन्हें ऐसे अंतरणों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, मंजूर कर लेगी, या उन्हें पुनर्विचार के लिये परिषद् को लौटा सकेगी,

(3) समस्त विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे,

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी.

अध्याय-10 प्रकीर्ण

प्रमाण-पत्र के बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति.

47. किसी व्यक्ति जो—

(क) इस अधिनियम के अधीन दिये गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का आसानी से उपयोग करता है, या

(ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण-पत्र या व्यपदेशन को चाहे वह लिखित में हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर या पेश कराकर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है, या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से संबंधित किसी विषय में कोई भी मिथ्या व्यपदेशन जानबूझकर करता है या करवाता है, दोषसिद्ध होने पर, कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.

परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी.

48. परिषद् ऐसी रिपोर्ट, अपने ऐसे कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने ऐसे लिखाओं की संक्षितियां (एब्सट्रेक्टस) तथा ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी जो राज्य सरकार अपेक्षित करे.

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

49. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें पहले विनिर्दिष्ट न किया गया कोई विषय सम्मिलित किया जा सके या उसमें से किसी विषय का लोप किया जा सके या किसी विषय के विवरण को उपांतरित किया जा सके.

अपराधों का संज्ञान.

50 (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो कि इस निमित्त परिषद् द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किए गए परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं,

(2) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचार नहीं करेगा.

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

51. यदि राज्य सरकार को, किसी भी समय, यह प्रतीत होता है कि परिषद्, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रही है, या उसने उनका अतिरेक या दुरुपयोग किया है, या वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने में असफल रही

है तो राज्य सरकार, यदि वह यह विचार करती है कि ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग गंभीर स्वरूप का है, उससे ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग का ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए उपचार किये जाने की अपेक्षा करते हुए, उनकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी और यदि परिषद् सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा दो वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि तक जिसे कि व ठीक समझे करवा सकेगी और नई परिषद् अस्तित्व में लाने के उपाय करेगी.

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिये]

1. भौतिक चिकित्सा/व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम
2. वाक्शक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम
3. श्रव्य शास्त्रीय पाठ्यक्रम
4. प्रयोगशाला तकनीशियन (विभिन्न प्रकार के) पाठ्यक्रम
5. मिडवाइफरी पाठ्यक्रम
6. किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम
7. बी. सी. जी. तकनीशियन पाठ्यक्रम
8. साईटो तकनीशियन पाठ्यक्रम
9. अर्थो तकनीशियन पाठ्यक्रम
10. नमूना कक्ष तकनीशियन (मोल्ड रूम टेकनीशियन) पाठ्यक्रम
11. गामा कैमरा तकनीशियन पाठ्यक्रम
12. आर्थोटिक तकनीशियन पाठ्यक्रम
13. आपटोमेटरिस्ट पाठ्यक्रम
14. आर्थोटिक आर्थेटिक और कांटेस्ट लेन्स पाठ्यक्रम
15. ई. सी. जी. तकनीशियन पाठ्यक्रम
16. अल्ट्रासाउंड तकनीशियन पाठ्यक्रम
17. एन्जियोग्राफी तकनीशियन पाठ्यक्रम
18. शल्यक्रिया कक्ष तकनीशियन पाठ्यक्रम
19. मानव पोषण में उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाणपत्र पाठ्यकम
20. डायलिसिस तकनीशियन पाठ्यक्रम
21. इन्सूलेशन चिकित्सा तकनीशियन पाठ्यक्रम
22. स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम
23. अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान पाठ्यक्रम
24. कंपाउंडर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी) पाठ्यक्रम
25. बायोकैमी चिकित्सा पद्धति का कंपाउंडर पाठ्यक्रम
26. शपनिक जीव रसायन (क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री) में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
27. सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायोलाजी) पाठ्यक्रम
28. पैथोलाजी (व्याधिकी) पाठ्यक्रम
29. आपटोमेटरिक रिफरेक्शन पाठ्यक्रम
30. सह-चिकित्सकीय नेत्ररोग सहायक पाठ्यक्रम
31. परफ्यूजनिस्ट/कार्डियक सर्जरी तकनीशियन पाठ्यक्रम
32. केथ प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

1. सह-चिकित्सक, लोगों को चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. डाक्टर अपने अधिकांश क्लीनिकल कार्य के लिये सह-चिकित्सकों पर निर्भर करते हैं. वर्तमान में सह-चिकित्सकों की शिक्षा, तथा सह-चिकित्सकों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिये कोई कानून नहीं है. आज की दुनिया में सह-चिकित्सकों की भूमिका दिनोदिन बढ़ रही है. पूरे प्रदेश में ऐसे अनेक शिक्षा संस्थान उत्पन्न हो गए हैं जो सह-चिकित्सकीय विषयों की शिक्षा और प्रशिक्षण निम्न स्तर का दे रहे हैं. इसलिये यह आवश्यक समझा गया है कि सह-चिकित्सकीय विषयों की शिक्षा और सह-चिकित्सकों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिये एक सह-चिकित्सकीय परिषद् की स्थापना की जाय, और इस प्रयोजन के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 20 नवम्बर, 2001

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक-2001 के खण्ड 45 एवं 46 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम और विनियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

कार्यालय, नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़

क्रमांक जी. बी. 4/(2)/डा. कलै. का मु./2002/1015 दिनांक 14 दिसम्बर 2001

विज्ञप्ति

वर्ष 2002 के लिये छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं एवं सामान्य विक्रय हेतु सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है :—

क्रमांक	सामग्री	मूल्य प्रति नग
1.	सुपीरियर वाल कैलेण्डर (चित्रवाला)	35.00
2.	साधारण वाल कैलेण्डर (चित्रवाला)	30.00
3.	वाल कैलेण्डर (बिना चित्रवाला)	15.00
4.	शीट कैलेण्डर	1.50
5.	सुपीरियर डायरी	70.00
6.	साधारण डायरी	60.00
7.	स्क्रिब्लिंग पैड	15.00
8.	स्क्रिब्लिंग पैड की रिफिल	6.00

2. कैलेण्डर :

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2002 का सुपीरियर कैलेण्डर एवं साधारण वाल कैलेण्डर तथा बिना चित्रवाला कैलेण्डर मांग अनुसार सभी को कार्यालय उपयोग हेतु प्रदाय किये जा सकेंगे.

3. डायरी :

(1) **सुपीरियर डायरी.**—उत्तम कागज पर सीमित मात्रा में मुद्रित एवं आकर्षित लेदर कव्हर वाली ये डायरियां वरिष्ठ अधिकारियों के सामान्य विक्रय के लिये उपलब्ध रहेगी. सुनिश्चित प्राप्ति के लिये मांग-पत्र शीघ्र दें.

(2) **साधारण डायरी.**—उत्तम कागज पर (पी. व्ही. सी. कव्हर वाली) ये डायरियां सभी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ-साथ सामान्य विक्रय के लिये उपलब्ध रहेंगी.

4. स्क्रिब्लिंग पैड :

अधिकारियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है.

5. वितरण :

छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के सभी कार्यालयों को उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव से प्रदाय किया जावेगा.

6. **सामग्री का प्रदाय :**

सामग्री का प्रदाय नगद भुगतान पर या मद क्रमांक-"0058 **लेखन सामग्री तथा मुद्रण 101 राजपत्रों आदि की बिक्री** (2)" में कीमत की राशि शासकीय कोषालयों में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकेगा.

7. छत्तीसगढ़ के सभी कार्यालय माह जनवरी 2002 में किसी भी कार्यालय दिवस में राजनांदगांव से वांछित सामग्री प्राप्त कर सकेंगे.

कृपया सुनिश्चित प्राप्ति के लिये राशि जमा कराकर राजनांदगांव से अपनी उपयोग की सामगी शीघ्र प्राप्त करें.

सही/-
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

क्रमांक पृ. क्र. जी. बी. 4/(2)/डा. कलै. का मु./2002/1016 दिनांक 14 दिसम्बर 2001

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़.
2. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.
3. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर.
4. सचिव, लोकायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर.
5. सचिव, राजस्व मंडल ग्वालियर, छ. ग.
6. आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
8. समस्त कमिश्नर, छत्तीसगढ़.
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
10. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तीसगढ़.
11. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
छत्तीसगढ़, रायपुर.